27/05/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित है। प्रार्थी स्वयं भी अनुपस्थित है। वकील ओर के कोई वकील भी उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाज लगवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नहीं है अतः राजस्व प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी के खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर देकर रिकार्ड दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)